न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	महेश चन्द बनाम तहसीलदार मु.नं.– 19/25 किस्म – धारा – 120 LR Act	
	03.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 120 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
19/2025	10.03.2025	03.06.2025

बउनवान

1. महेश चन्द पुत्र किशनलाल गुर्जर, निवासी पीपली का वास, कौलाना, तहसील बसवा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थी

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लक्ष्मीनारायण मीना।
2. अप्रार्थी – तहसीलदार बैजूपाडा।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आराजी खाता सं. नया 209 पुराना 20 के खसरा सं. 219 रकबा 0.18 हैक्टे., 523 रकबा 0.55 हैक्टे. कुल खसरे 2 कुल रकबा 0.73 हैक्टे. का सम्पूर्ण रकबा प्रार्थी की काबिज काश्त ममलूका मकबूजा खातेदारी की भूमि है जो ग्राम बैजूपाडा, पटवार हल्का बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात के पडोसी काश्तकार प्रार्थी की भूमि खसरा सं. 219 रकबा 0.18 हैक्टे. को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं जो कि आये दिन खेतों के मध्य बनी हुयी डोल/मेड को तोडते रहते है जिससे आये दिन झगडा फिसाद होते हैं, संगीन वारदात पैदा होने की सम्भावना पैदा हो जाती है। प्रार्थी पडोसी काश्तकारान से मुकाबला करने में असमर्थ है। इसलिये प्रार्थी ने दिनांक 03.02.2025 को हल्का पटवारी के द्वारा सीमाज्ञान करवा लिया था लेकिन फिर भी पडोसी काश्तकार प्रार्थी को आये दिन परेशान करते रहते है। इसलिये हल्का पटवारी के द्वारा खसरा सं. 233 किस्म गैर मुमकिन चाह मुस्तकिल बिन्दू मानते हुये एवम आराजी सं. 225, 238, 239 के मध्य तिमेडा को मुश्किल मुकामन मान कर उक्त भूमि खसरा सं. 219 स्थित ग्राम बैजूपाडा की समस्त भुजाओ का सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि खसरा सं. 219 स्थित ग्राम बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा की भूमि पर पत्थरगढी व तारबंदी के आदेश प्रार्थी न्यायालय हाजा से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी पडौसी काश्तकारों के अनुचित हस्तक्षेप से परेशान है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 03.02.2025 के आधार पर पत्थरगढी व तारबंदी कर उक्त सीमा विवाद का स्थायी समाधान चाहते है ताकि आये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

दिन होने वाले झगडों से मुक्ति मिल सकें। दिनांक 28.02.2025 को प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 के यहां अपनी भूमि की पत्थरगढी व तारबंदी करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया तो अप्रार्थी ने कहा कि न्यायालय से आदेश लेकर आओ, तब आपकी भूमि की पत्थर गढ़ी व तारबंदी करेगे। अतः निवेदन है कि विवादित आराजीयात भूमि खसरा सं. 219 रकबा 0.18 हैक्टे. स्थित ग्राम बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा की मौके पर सीमाज्ञान दिनांक 03.02.2025 के अनुसार मोके पर निशानात कायम कर मौके पर पत्थरगढी व तारबंदी किये जाने के लिये अप्रार्थी को मय पर्याप्त पुलिस इमदाद की सहायता के आदेश जारी किये जावें।

2. प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा को वास्ते जवाव नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा ने जवाव दिनांक 15.04.25 प्रस्तुत किया कि "वाद में दर्ज आराजी खसरा सं. 219 रकबा 0.18, 523 रकबा 0.55 हैक्टे. कुल किता 2 रकबा 0.73 हैक्टे. भूमि महेश चन्द पुत्र किशन लाल वगैरा की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है जिसमें से वादी आराजी खसरा सं. 219 की पत्थरगढी करवाना चाहता है। वाद में वर्णित भूमि वादीगण के साथ अन्य खातेदारो की संयुक्त खतेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी का सीमाज्ञान राजस्व विभाग की टीम के द्वारा दिनांक 03.02.2025 को करवा दिया गया है। सीमाज्ञान के मोका पर्चा की प्रति संलग्न है। सीमाज्ञान अनुसार उक्त आराजी की दोड मेड तोडने को लेकर के वादीगण अपनी उपरोक्त आराजी की पत्थर गढी करवाना चाहते है जो उचित है। वादी की समस्या को देखते हुए उपरोक्त आराजी की पत्थर गढी करवाया जाना उचित है। वाद पत्र में वर्णित खसरा सं. 219 से सबंधित किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई स्थगन है।"

3. विवादित आराजी के अन्य सहखातेदारों की तरफ से सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया कि हम पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 209 पुराना 20 के खसरा नम्बर 219, 523 कुल किता 2 कुल रकबा 0.73 हैक्टे. वाके ग्राम बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है। भूमि खसरा संख्या 219 रकबा 0.18 हैक्टे. पर द्वितीय पक्ष काबिज है तथा मालिक है जिसकी बाबत द्वितीय पक्ष ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवम उपजिला मजि. मण्डावर के समक्ष प्रार्थना पत्र पत्थरगढी की बावत पेश किया है। यदि भूमि खसरा नम्बर 219 रकबा 0.18 हैक्टे. की पत्थरगढी कर दी जावे तो हम प्रथम पक्षकारान को कोई आपत्ति नही है। हम प्रथम पक्षकारान की पूर्ण सहमति व स्वीकृति है। खसरा नम्बर 219 की पत्थरगढी कर दी जावे।

4. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमावन्दी संम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 219 रकबा 0.18 हैक्टे. का प्रार्थी दर्ज रिकार्ड सहखातेदार है। प्रार्थी की उक्त आराजी का दिनांक 03.02.2025 को तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा गठित टीम से सीमाज्ञान किया जा चुका है। आराजी खसरा सं. 219 के अन्य सहखातेदारों की तरफ से पत्थरगढी किये जाने बाबत सहमति प्रदान की है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

तहसीलदार बैजूपाडा ने पत्रांक भू.अ./2025/602 दिनांक 15.04.2025 द्वारा उक्त सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने में अनापत्ति व्यक्त की है।

5. प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 219 रकबा 0.18 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू अभिलेख निरीक्षक बैजूपाडा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थी की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू अभिलेख निरीक्षक बैजूपाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थी एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 03.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)